पूर्व मध्य रेल
संरक्षा बुलेटिन नं0 06 / 2025

कार्यालय
महाप्रबंधक / संरक्षा
हाजीपुर
दिनांक 16.05.2025

पत्र सं0 ईसीआर / संरक्षा बुलेटिन / 06 / 2025

विषय: दिनांक 10.05.2025 को धनबाद मंडल के पदमा स्टेशन के लाईन नं. 1 में गाड़ी सं. BOXN/ Empty के एक खाली वैगन का अवपथन के संबंध में।

1. संक्षिप्त परिचयः–

दिनांक 10.05.2025 को धनबाद मंडल के पदमा स्टेशन पर तकरीबन 11.45 बजे, एक खाली बॉक्सेन गाड़ी / लोको सं. 60612 / WAG- 12 / एसआरई (लोड 57 + ब्रेकभान) लाईन नं. एक से थ्रू पासिंग के दौरान उस गाड़ी का एक खाली वैगन अवपथित हो गया।

2. प्रकियागत विफलताः–

कॉस लेवल Versine लिमिट से बाहर था एवं Twisted भी पाया गया ।

3. जॉच के दौरान स्थापित तथ्यः–

1. ब्रेकभान से छठा वैगन का एक जोड़ा चक्का (हजारीबाग साईड) से अवपथित पाया।
2. कांटा सं. 51 पैनल पर सेट एवं लॉक रिवर्स स्थिति में पाया। स्टार्टर सिगनल सं एस – 5 एवं एडवांस स्टार्टर सं. एस–11 ऑफ स्थिति में पाया गया।
3. बायें साईड का चक्का ट्रैक से बाहर एवं दायें साईड का चक्का ट्रैक के अंदर गिरा हुआ था।
4. स्लीपर नं. 37 / कांटा सं. 51ए पर प्वाइंट ऑफ माउंट एवं स्लीपर सं. 31 कांटा सं 51ए पर प्वाइंट ऑफ ड्राप था।
5. प्वाइंट ऑफ माउंट एवं प्वाइंट ऑफ ड्रॉप के बीच 3 मीटर का दूरी थी ।
6. बफर के लिए ट्रैक का लिफटिंग एवं पैकिंग कार्य किया जा रहा था । इस कार्य के लिए कोई ब्लॉक नहीं दिया गया था।
7. तकरीबन 92 मीटर ड्रैगिंग पाया गया।

4. बरती जाने वाली सावधानियां :–

भारतीय रेलपथ नियमावली (जून 2020 एडिशन) के पारा 429 के सब – पारा 8 के अनुसार टर्नआउटों में आमान और बाह्यउत्थान (Gauge and Super elevation in Turnouts) के अनुसार निम्न बातों का ध्यान रखना हैः–

1. टर्नउाउटों पर एक–समान आमान अनुरक्षित करना एक अच्छी पद्वति है । टर्नआउट के विभिन्न भागों में नई लाइनें / नवीकरण तथा रख–रखाव के दौरान आमानों की सहन क्षमता पैरा 520 (3) (क) और पैरा 525 (1) के अनुसार होनी चाहिए।
2. कॉसिंग भाग में सर्विस के दौरान एवं नई लाइनें / नवीकरण दोनों में ही मानक आरेख में निधार्रित आमान जो कि 1673 मिमी है, को 0 से 4 मिमी. होनी चाहिए ।
3. यदि रेलपथ का गेज, प्वाइंट और कॉसिंग के निकट प्वाइंट व कॉसिंग की गेज के सापेक्ष चौड़ा / तंग पाया जाता है तो सटे हुए रेलपथ का गेज प्वाइंट और कॉसिंग के गेज के समान होना चाहिए।
4. भारतीय रेल पथ नियमावली (जून 2020 एडिशन) के पारा 410 में टर्नआउट पर बाह्य उत्थान का अपरिवर्तन से संबंधित निम्न निर्देष दिए गए हैः– ' केवल उन स्थितियों को छोड़कर जहां प्वाइंट एवं कॉसिंग वक्र के संक्रमणित भाग से निकाले जाने हों, वहां कमशः पंखीमुख और कॉसिंग की नासिका से बाहर पर 20 मीटर की दूरी तक उत्थान में किसी प्रकार का परिवर्तन

नहीं होना चाहिए। सामान्यतः मुख्य लाइन के संक्रमणित वक्र भाग मे टर्नआउट नहीं निकाले जाने चाहिए।'

5. सदृश या विपरीत झुकाव के वक्र वाले टर्नआउट पर बाहरी उत्थान उपरोक्त नियमावली के पैरा 411 के अनुसार सुनिश्चित करना चाहिए।
6. पैरा 411 क्रॉस ओवर युक्त वक्र – मुख्य लाईन के वक्र पर, जिससे विपरीत वक्रता का वक्र निकलता है, मुख्य लाइन पर उठान की गणना आयाम अनुसूची में दिए गए सूत्रों के अनुसार करनी चाहिए और निर्धारित गति इंटरलॉकिंग के मानक के अनुसार एमपीएस एवं सेक्शनल स्पीड में होगी।

7. **पैरा 412 समान वक्रताओं के वक्र–**

(a) मुख्य लाईन के वक्र पर, टर्नआउट वक्र का उठाव मुख्य लाइन के उठान के बराबर होगा।

(b) टर्नआउट पर उठान में परिवर्तन क्रॉसिंग के पीछे से आरंभ कर तथा उसमें परिवर्तन दर 2.5 मिमी. प्रति मीटर तक सीमित रखा जाए। मुख्य लाइन पर टर्नआउट पर अधिकतम उठान 65 मिमी. होनी चाहिएं।

इसके अतिरिक्त PCE Circular संख्या–22 दिनांक 06.06.2011 में वर्णित अनुदेशों का कड़ाई से रेलपथ अभियंताओं एवं अन्य संबधित द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

19/05/15

(प्रभास [illegible])
उप मुख्य संरक्षा अधिकारी / यातायात

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबंधक के सचिव– महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अपर महाप्रबंधक, प्र0 मु0 परि0 प्र0, प्र0 मु0 इंजी0, प्र0 मु0 वि0 इंजी0, प्र0 मु0 सि0 एवं दू0 इंजी0, प्र0 मु0 यां0 इंजी0 – को सादर सूचनार्थ।
3. मु0 यां0 यो0 प्र0, मु0 या0 या0 प्र0, मुख्य ट्रैक इंजी0, मु0 सि0 इंजी0 , मु0वि0वि0इंजी0, मु0 वि0 लो0 इंजी0
4. मंडल रेल प्रबंधक / धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
5. वमसंअ0 वमपरिप्र0 वमंविई0 (टीआरडी), वमंविई0 (परि0), वमंसिदूई0 , वमअभि0 (सम0 /)धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
6. सभी सर्वसंबंधित पर्यवेक्षक एवं रेल कर्मचारी।